INDIA NON JUDICIAL

IN-UP71749514366184X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 53/2025

ACC Name-AZHAR KHAN
ACC Code-UP14121904
ACC Address-korakat,Jaunpur
Mobile No.-9795447029

Certificate No.	:	IN-UP71749514366184X
Certificate Issued Date	:	02-Aug-2025 02:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14121904/ JAUNPUR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14121904411729898661 71X
Purchased by	:	S S N TRUST BY TRUSTI DHARMRAJ SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	S S N TRUST BY TRUSTI DHARMRAJ SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	S S N TRUST BY TRUSTI DHARMRAJ SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	500 (Five Hundred only)

E. Stamp Locked
Sub. Registrar
Kerakat, Jaunpur

Please write or type below this line

Dharm Raj Singh

[redacted]

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

V. K. Singh
Advocate
Reg. UP03077/04
Kerakat, Jaunpur

सार्वभौम शिक्षा न्यास
दस्तावेज (ट्रस्ट / न्यास)

(1) मैं धर्मराज सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह पता–ग्राम–मढ़ी, पोस्ट– मढ़ी, तहसील केराकत, जिला जौनपुर (उ०प्र०) का निवासी हूँ। मैं सार्वभौम शिक्षा न्यास कार्यालय का पता–ग्राम–मढ़ी पोस्ट–मढ़ी, तहसील केराकत, जिला जौनपुर (उ०प्र०) के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।

(2) ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धताः
सार्वभौम शिक्षा न्यास इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम / उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। उपरोक्त ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) ट्रस्ट (न्यास) का नाम–सार्वभौम शिक्षा न्यास

(4) ट्रस्ट (न्यास) कार्यालय का पता– पता–ग्राम–मढ़ी पोस्ट–मढ़ी, तहसील केराकत, जिला जौनपुर (उ०प्र०)

(5) ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण भारत ।

(6) ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता):–धर्मराज सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह पता ग्राम मढ़ी पोस्ट–मढ़ी, तहसील केराकत, जनपद–जौनपुर (उ०प्र०)

(7) न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम मुख्य ट्रस्टी /प्रबन्धक अपने विवेक से नाम घोषित करेंगे।

(8) न्यासधारी (ट्रस्टी)
धर्मराज सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह पता–ग्राम–मढ़ी, पोस्ट–मढ़ी, तहसील केराकत, जिला–जौनपुर (उ०प्र०), न्यास पता–: सार्वभौम शिक्षा न्यास, पता–ग्राम–मढ़ी, पोस्ट–मढ़ी, तहसील केराकत, जिला–जौनपुर (उ०प्र०).

9:—सार्व भौम शिक्षा न्यास में नामित व्यक्ति जो ट्रस्ट बनाये गये—

क्र0 स0	नाम ट्रस्टी	पिता / पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता	मो0न0—
1.	धर्मराज सिंह	श्री हरिशंकर सिंह	मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	9140159758
2.	रघुराज सिंह	श्री हरिशंकर सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	9002090486
3.	रीना सिंह	श्री हरिशंकर सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	7908176163
4.	रंजीता सिंह	श्री धर्मराज सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	7007526846
5.	फूलपरी	श्री हरिंशकर सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	9305196654
6.	सपना सिंह	श्री रघुराज सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	6306498356
7.	किरन सिंह	श्री हरिंशकर सिंह	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवी	मढ़ी केराकत जौनपुर	9594513270

Dharm Raj Singh

आवेदन सं०: 202500986006612

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 53	वर्ष: 2025

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

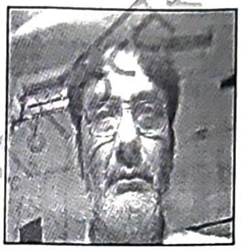

श्री सा०शि०न्य०ब०अ०धर्मराज सिंह ,
पुत्र श्री हरिशंकर सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा० मढी परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 02/08/2025 एवं 03:00:46 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम बिहारी
उप निबंधक :केराकत
जौनपुर
02/08/2025

अभिषेक मसीह .
निबंधक लिपिक
02/08/2025

प्रिंट करें

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश

(10) ट्रस्ट का स्वरूपः

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में सर्व जन सुखाय, सर्व जन हिताय'' का कार्य करेगा।

(11) लाभग्राहीः

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाइ, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

(12) हितग्राही व्यक्तिः

ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यः

इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/ उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

1— बालक—बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए एल०के०जी, स्तर से 5वीं कक्षा, जू०हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, बी०टेक, एम०टेक, बी०सी०ए, बी०बी०ए०, एम०सी०ए०, एम०बी०ए०, स्तर तक रोजगारपरक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

2— दिल्ली बोर्ड (सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई, पैटर्न, यू०पी०बोर्ड हिन्दी /अंग्रेजी माध्यम, तथा संस्कृत शिक्षा परिषद की नवीन शिक्षा प्रणाली एवं उर्दू शिक्षा के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों का संचालन करना।

Dharm Raj Singh

आवेदन सं०: 202500986006612

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 53 | वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री सा०शि०न्य०ब०अ०धर्मराज सिंह, |SAR SHIK NYAS BAJ ADYA DHARMRAJ SINGH

पुत्र श्री हरिशंकर सिंह

निवासी: सा० मठी परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री संजय कुमार प्रजापति, पुत्र श्री बंशराज प्रजापति

निवासी: सा० हरदासीपुर परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री सभाजीत सिंह, पुत्र श्री श्रीप्रसाद सिंह

निवासी: सा० थून्ही परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम बिहारी
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर
02/08/2025

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अभिषेक मसीह .
निबंधक लिपिक जौनपुर
02/08/2025

3— सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

4— सामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह पद्धति एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

5— पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।

6— विकलांग, मूक—बधिर नेत्रहीन एवं गरीब बालक बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास भोजन, कपड़ा शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।

8 ज्ञान—विज्ञान, वायुयान, जलयान (नेवी) तथा थल पर संचालित सभी यानो/वाहनों के यांत्रिक, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

9— समस्त लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों की स्थापना एवं संचालन करना एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कालोनियों एवं आवासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर सुरक्षा पद्धति की नवीन तकनीक की भी जानकारी देना।

10— निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र—छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा निःशुल्क कोचिंग का संचालन करना।

11— गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्ट हैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

12— जनसंख्या नियंत्रण व नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय—समय पर आयोजन करना।

DharmRajSingh

13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।

14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।

15— ग्रामीण बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट ईट, लौह उद्योग, शीतगृह, दाल—मिल, चावल—मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन उन्नतिशील बिच छपाई उद्योग पिटिंग वर्क कापी उद्योग संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

16— क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।

17— राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ के अस्पतालों का निर्माण करना एवं योग शिक्षा केन्द्र की स्थापना, सुयोग्य चिकित्सकों के सहयोग से गम्भीर प्राणलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के सम्बन्ध में गोष्ठियों आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।

18— समय—समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।

19— दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

20— ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस /बी, के टीकाकारण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

21— उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।

Dharm Raj Singh

[redacted]

22— पर्यटन, देशाटन व भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।

23— समाज में फैली कुरीतियों जैसे—तलाक, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।

24— ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।

25— लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल, बागवानी एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।

26— गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना।

27— असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।

28— जनहित में आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु उच्चकोटि के होटलों एवं रेस्टोरेन्टों का निर्माण करना एवं उसे सुसंचालित करना।

29— रोजगारपरक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।

30— कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।

31— केमिकल उद्योगों की स्थापना एवं प्रशिक्षण हेतु बी०एल०एड्, बी०टी०सी०, बी०एड्० एन०टी०टी० एवं लॉ कालेज की स्थापना एवं संचालन करना। रोजगारपरक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर समाज का शैक्षिक उन्नयन करना।

[redacted]

(14) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति–

यहकि हम मुकिर न्यास मजकूर के मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रबन्धक भी कहे जायेंगे।

(15) प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पदः–

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में 07 संस्थापक ट्रस्टी होंगे, जिसमें उत्तरदायी पद मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धक का होंगा। मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक धर्मराज सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

(16) ट्रस्ट की सदस्यताः ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1– संस्थापक ट्रस्टी इस ट्रस्ट की मुख्यट्रस्टी धर्मराज सिंह हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त नवीन ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। मुख्यट्रस्टी /प्रबन्धक एवं संस्थापक ट्रस्टी अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में कार्यकारी ट्रस्टी / उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं। जिसका **अनुमोदन मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।**

2. – मुख्य ट्रस्टी– धर्मराज सिंह होंगे।

3– सहयोगी ट्रस्टी जो व्यक्ति ट्रस्ट को पाँच सौ एक रूपया सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह सहयोगी ट्रस्टी होगा।

4– ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति– पागल होने, दीवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में मोरल अपरिट्यूट के अन्तर्गत सजा पाने या त्यागपत्र देने पर वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर या ट्रस्ट के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने एवं शारीरिक रूप से क्षीण होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

DharmRajSingh

(17) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्ध कारिणी समिति होगी। प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी। जिसका अनुमोदन मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

2– ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु मुख्यट्रस्टी /प्रबन्धक द्वारा चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना–रेहन रखना, ऋण लेना, ऋण की अदायगी सुनिश्चित करना, अनुदान लेना आदि।

3– किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

4– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उप समितियों का मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्रापत करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।

5– ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक–पृथक खातों को समयानुसार मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक द्वारा चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तित करना।

6– ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवादद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुख्यट्रस्टी/ प्रबन्धक द्वारा अधिकृत करना तथा किसी जाँच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

7– वार्षिक आय–व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।

8– ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को मुख्यट्रस्टी /प्रबन्धक द्वारा अन्तिम निर्णय देना।

9– आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम मुख्यट्रस्टी /प्रबन्धक द्वारा बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक की सहमति से लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकानुसार महसूस किये जायेंगे तथा जो ट्रस्ट के हित में होगा।

(18) <u>ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

आवश्यकतानुसार मुख्यट्रस्टी को किसी भी प्रकरण पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार होगा, तत्पश्चात् ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत किया जायेगा और उसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी और उन्हें क्रियान्वित करेगी। संयुक्त समिति एवं प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का जब तक मुख्यट्रस्टी / प्रबन्धक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वह कार्यरूप में परिणित नहीं होगा।

(19) **संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य–**

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम में वैध मानी जायेगी। अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति संस्थापक ट्रस्टी होगा।

(20) **विवादित स्थिति पर निर्णय:**

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधिक होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्दियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

[redacted]

(21) ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेख–

एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीदबही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

(22) अनुशासनात्मक कार्यवाही–

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है। उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन मुख्यट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुख्यट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें। संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सददस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुख्यट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

(23) वाद तथा प्रतिवाद–

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद–जौनपुर (उ०प्र०) रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे। व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है। मुख्य ट्रस्टी की अनुमति के बगैर कोई भी ट्रस्टी किसी भी प्रकार का ट्रस्ट से सम्बन्धित वाद न्यायालय में योजित नहीं कर सकेगा।

(24) परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता–

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्रामः मोहल्ला स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील, नगर, ब्लाक व ग्रामों में चलायी जायेगी।

25. ट्रस्ट कोष का रखरखाव–

ट्रस्ट के खाते का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर, संचालन मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(26) पदों का सृजन–

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार मुख्यट्रस्टी ६ प्रबन्धक की सहमति से विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

27.ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियाँ–

ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति का अधिकार मुख्यट्रस्टी धर्मराज सिंह का होगा तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगे अथवा उनके वंशानुगतक्रम के वंशज होंगे, अन्यथा की स्थिति में संस्थापक ट्रस्टी द्वारा सामूहिक निर्णय लिया जायेगा जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से किया जायेगा। जिसके अनुमोदन का अधिकार मुख्यट्रस्टी /प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

सार्वभौम शिक्षा न्यास, ग्राम मढ़ी, पोस्ट मढ़ी, तहसील–केराकत, जौनपुर की स्थापना हेतु पाँच हजार रूपया नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा। अतः ट्रस्टनामा विलेख आज दिनांक– **.02.08.2025** को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उध्द्घोषित किया जा रहा है।

वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

धर्मराज सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह
मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक
सार्वभौम शिक्षा न्यास
ग्राम–मढ़ी, पोस्ट–मढ़ी
तहसील केराकत, जिला–जौनपुर।

[redacted]

गवाहः—1

संजय कुमार प्रजापति पुत्र बंशराज प्रजापति
साकिन मौजा—हरदासीपुर
परगना व तहसील केराकत
जिला—जौनपुर।
मो0नं0—6389794465

गवाहः—2

सभाजीत सिंह पुत्र श्रीप्रसाद सिंह
साकिन मौजा—थून्हीं
परगना व तहसील केराकत
जिला—जौनपुर।
मो0नं0—8858761945

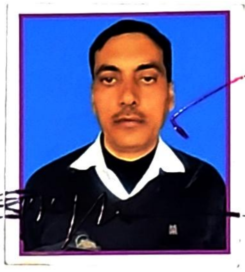

टंकणकर्ताः— अंकिता यादव केराकत जौनपुर।

V. K. Singh
Advocate
Reg. UP03077/0..
Kerakat, Jaunpur

मसविदाकर्ताः— विवेक कुमार सिंह एडवोकेट केराकत जौनपुर।

आवेदन सं०: 202500986006612

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 64 के पृष्ठ 181 से 206 तक क्रमांक 53 पर दिनाँक 02/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम बिहारी

उप निबंधक : केराकत

जौनपुर

02/08/2025

प्रिंट करें

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संजय कुमार प्रजापति
Sanjay Kumar Prajapti
जन्म तिथि/ DOB: 13/01/1978
पुरुष / MALE

4116 4437 8616

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:	Address:
आत्मज: वंश राज प्रजापति, हर्दासीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222129	S/O: Vansh Raj Prajapti, Hardasipur, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222129

4116 4437 8616

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

6389794465

भारत सरकार
Government of India

सभाजीत सिंह
Sabhajeet Singh
जन्म तिथि/ DOB: 05/08/1977
पुरुष / MALE

5052 5722 5338

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O श्री प्रसाद सिंह, 85, थुन्ही, चंदवक, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222129

Address:
S/O Shree Prasad Singh, 85, thunahi, Chandwak, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222129

5052 5722 5338

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

8858761945